

27/01/2020 पत्रावली प्रकृत | कमील प्रकृत सं
 पीकेपी न्यायालय न 'अकगत'
 व्याघा विषय इस प्रकृत से
 संबंधित मूक वाद दि० 28/2/2019
 का निर्णय एवं पुष्प के इसलिये
 यह प्र.प. चलाने योग्य नहीं रहता है।
 अतः प्रकृत प्रसंग में कार्यवाही इस
 स्तर पर होप की जावे।
 पत्रावली बाद तत्काल तत्काल प्रकृत
 सुमर देवप नरकर व काम

उपखण्ड अधिकारी
 भदोसर, जिला-चित्तौड़गढ़

